UPHR010017392026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), हरदोई।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–790/2026

रहीश पुत्र चुन्ना निवासी ग्राम फरीदीपुर थाना दुबग्घा जनपद लखनऊ हाल पता नकटाखेड़ा थाना आसीवन जनपद उन्नाव

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार ..... अभियोगी

मु०अ०सं०–403/2025
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी
क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम–1986
थाना–अतरौली, जिला – हरदोई।

दिनांकः–30.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **रहीश**, जो **मु०अ०सं०–403/2025, धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम–1986, थाना अतरौली, जिला हरदोई** के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ जहीरा पत्नी अनीस का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार सूचनाकर्ता सतीश चन्द्र ने दिनांक 30.10.2025 को थाना अतरौली, जिला–हरदोई जुबानी प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि रहीश ने एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसके अनीस पुत्र सुल्तान, बबलू पुत्र राशिद, जीशान पुत्र इरफान व मो० अहमद पुत्र कल्लू उर्फ तकि अहमद ये सभी गैंग के सदस्य है। इस गैंग का मुख्य कार्य जैसे जघन्य अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अपने भौतिक लाभ हेतु जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर जघन्य अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं जिनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई मुकदमें पंजीकृत हैं। अतः इनके विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है, इसके हेतु इनके विरुद्ध धारा 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि,"प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी एवं झूठा फसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी के विरूद्ध जो मुकदमें गैगचार्ट में दर्शाये गये हैं उनमें प्रार्थी नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा घर से पकड़कर लाया गया और गैग चार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में मुल्जिम बनाकर चालान कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोगी द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि प्रार्थी द्वारा गैगचार्ट से दर्शाये गये मुकदमों से क्या आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाया है। मुकदमें से पूर्व प्रार्थी की क्या आर्थिक स्थिति थी और मुकदमे के बाद क्या आर्थिक स्थिति है। गैंगचार्ट में दर्शाए गये समस्त मुकदमों में प्रार्थी की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी ने कोई

Digitally signed by BHUPENDRA PRATAP
Date: 2026.03.31 19:19:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का कोई दाण्डिक इतिहास नहीं है। अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न लगाया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः निवेदन किया गया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।"

4. आवेदक/अभियुक्त के तर्कों के निवेदन का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने निम्न कथन किया: –

(i) आवेदक अपने सह अभियुक्तों के संग एक संगठित गिरोह का सदस्य है, जिसका सरगना अभियुक्त अनीस है। जो जघन्य अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अपने भौतिक लाभ हेतु जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करके जघन्य अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं, जिनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता।

(ii) **गैंग चार्ट सहित आवेदक के विरुद्ध कुल 7 अपराधिक मुकदमें पंजीकृत है,** जिससे यह प्रथम दृष्टया दर्शित होता है, कि आवेदक एक अभ्यस्त अपराधी है, जो इस तरह के आपराधिक प्रकरणों में लिप्त है।

(iii) गिरोहबंद अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रावधान है कि ''उक्त अपराध के अंतर्गत यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसे तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि (क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता और (ख) जहाँ लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।'' वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे इस न्यायालय को वांचित समाधान हो जाये। अतः वर्तमान जमानत पत्र निरस्त किया जाये।

<u>जमानत की विधिः–</u>

5. (i) विधि का सिद्धान्त है कि ''जमानत नियम और जेल अपवाद है''। जमानत न तो किसी यांत्रिक आदेश से स्वीकार या अस्वीकार ही की जा सकती है, क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है, परन्तु यह दण्ड न्याय प्रणाली के हित से भी संबंधित है और यह भी सुनिश्चित करना है, कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाये।

(ii) जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला का होना, आरोप की गंभीरता और प्रकृति, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सजा की कठोरता, अनुपूरक साक्ष्य की प्रकृति, न्यायालय की आरोप के लिये प्रथम दृष्टया संतुष्टि, आरोपी की हैसियत व पद, अभियुक्त की न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना, शिकायतकर्ता और गवाह को धमकी की आशंका और अपराधी का अपराधिक इतिहास जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को मामले के अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता व स्थिरता के गुण–दोष की जांच सघनता से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह केवल परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है। समता जमानत का एकमात्र आधार तो नहीं है, परन्तु यह उपरोक्त पहलुओं में से एक हो सकता है, जो अनिवार्य रुप से जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचारणीय होने चाहिए।

(iii) यह अविवादित है, कि जमानत देना या न देना, ये उस न्यायालय का विवेकाधिकार है, जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि यह विवेकाधिकार निर्बाध है। परन्तु इसका उपयोग न्यायसंगत, मानवीय व सहानुभूति पूर्वक ही किया जाना चाहिए न कि मनमाने तरीके से। जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में कारणों को प्रथम दृष्टया इंगित करना चाहिए, हालांकि गुण–दोष पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और विस्तृत दस्तावेजीकरण को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जमानत की शर्ते इतनी भी सख्त नहीं

होनी चाहिए की उसका अनुपालन करना ही अक्षम हो जाये, जिससे जमानत ही काल्पनिक न हो जाये।

''गिरोहबंद अधिनियम'' के अन्तर्गत जमानत की विधिः–

6. (i) वर्तमान प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध ''गिरोहबंद अधिनियम'' के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो निम्न उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है :–

''गिरोहबंद और समाज–विरोधी क्रियाकलाप को रोकने और उनका सामना करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियम''

(ii) गिरोहबंद अधिनियम, जो एक विशेष अधिनियम है, के अन्तर्गत जमानत देने से पूर्व, सक्षम न्यायालय का दो स्थितियों पर समाधान करना अनिवार्य है, जो अधिनियम की धारा–19(4) में वर्णित हैं। जो इस प्रकार है–

''19. (1) xxxx

(2) xxxx

(3) xxxx

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्ध–पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

(5) **उपधारा (4)** में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के बारे में निर्बधन, संहिता के अधीन निबंधनों के अतिरिक्त होंगे।''

(iii) धारा 19 (4) (ख) को अधिनियमित करने का उद्देश्य अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों पर विचार करने वाले न्यायालयों को दिशानिर्देश प्रदान करना है। यह इस तथ्य का संकेत है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसलिए, न्यायालय को जमानत देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(iv) इस अधिनियम में जमानत के आवेदन का निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रावधान का अनुपालन केवल एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायालय को गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत जमानत याचिका पर विचार करते समय, इस प्रावधान का ध्यान अनिवार्य रूप से करना चाहिये तथा आदेश मे परिलक्षित भी होना चाहिए, चाहें वो संक्षिप्त ही क्यों न हो।इस प्रावधान को किसी भी दशा में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये।

विश्लेषणः–

7. (i) अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक का आपराधिक इतिहास वर्णित किया है, जो निम्न हैः–

(1) मु०अ०सं०–70/2025 धारा–305(ए)/331(4)/317(2)

बी०एन०एस थाना कासिमपुर जिला हरदोई

(2) मु०अ०सं०–140/2025 धारा–303(2)/317(2)
बी०एन०एस० थाना अतरौली जिला हरदोई

(3) मु०अ०सं०–187/2025 धारा–303(2)/317(2)
बी०एन०एस थाना अतरौली जिला हरदोई

(4) मु०अ०सं०–199/2025 धारा–303(2)/317(2)
बी०एन०एस थाना अतरौली जिला हरदोई

(5) मु०अ०सं०–200/2025 धारा–109(1) बी०एन०एस व 3/25/27(1)
आयुध अधिनियम, थाना अतरौली जिला हरदोई

(6) मु०अ०सं०–417/2022 धारा–2/3 यूपी गैंगस्टर
थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ

(7) मु०अ०सं०–135/2022 धारा–3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ

(ii) उपरोक्त से यह विदित होता है कि आवेदक एक अभ्यस्त अपराधी है जो एक ही प्रकार के अपराध कारित करने मे अभ्यस्त है। जैसा कि ''गिरोह'' व ''गिरोहबंद'' को क्रमशः ''गिरोहबंद अधिनियम की धारा 2(ख) व (ग) में परिभाषित किया गया है, आवेदक भी एक ऐसे गिरोह का सदस्य है, जो अकेले या सामूहिक रूप से समाज विरोधी क्रिया कलाप करता है, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (भा०दं०सं०) के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करते है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि आवेदक द्वारा कारित अपराध भा०दं०सं० के अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय है। प्रथम दृष्टया वर्तमान स्थिति में इस न्यायालय को यह समाधान होने का कि यह विश्वास करने का कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है कि आवेदक ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

(iii) आवेदक का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसके इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई दुविधा नहीं है कि वो एक अभ्यस्त अपराधी है। अतः ऐसा कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है कि, इस न्यायालय को यह समाधान हो सके कि आवेदक जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है। बल्कि आपराधिक इतिहास के दृष्टिगोचर इस बात की अधिक संभावना है कि आवेदक जमानत पर रहते समय इसी तरह के या अन्य अपराध पुनः कारित करेगा।

(iv) गिरोहबन्द अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें जमानत देने के संबंधित विशेष प्रावधान बनाये गये हैं, जो धारा 19(4) (ख) में वर्णित हैं। उन प्रावधानों का अनुपालन करे बिना इस अधिनियम के अंतर्गत जमानत नहीं दी जा सकती है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान दंड संहिता के अधीन जमानत मंजूर करने के बारे में दिये गये निबन्धनो के अतिरिक्त है, और जैसा पूर्व में जमानत की विधि का विश्लेषण किया गया है जिसमें जमानत मंजूर या नामंजूर करते समय कुछ कारको का ध्यान रखना आवश्यक है, उसमें अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

<u>निष्कर्षः–</u>

8. (i) उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि, गिरोहबंद अधिनियम की धारा 19 (4) (ख) में वर्णित जमानत देने के पूर्व दो स्थितियों जिनका समाधान होना अनिवार्य है, वर्तमान प्रकरण में अनुपस्थित है तथा आवेदक का गैंग तालिका में वर्णित 5 आपराधिक प्रकरणों के अतिरिक्त उस पर 2 आपराधिक मुकदमें और भी पंजीकृत है, यह कारक भी जमानत की प्रार्थना के प्रतिकूल है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः आवेदक **रहीश** द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–30.03.2026

(भूपेन्द्र प्रताप)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP 1813